कार्यालय पुलिस उपायुक्त वरुणा जोन कमिश्नरेट वाराणसी

प्रेस नोट

दिनांक-23.05.2025

विषयः- **"आपरेशन कन्विक्शन" के तहत प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप थाना चोलापुर मे पंजीकृत अपहरण, दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के मुकदमे से सम्बन्धित अभियुक्त को 10 वर्ष का सश्रम कारावास व कुल 60,000/- रु0 का अर्थदण्ड ।**

थाना चोलापुर, कमिश्नरेट वाराणसी में पंजीकृत मु0अ0सं0-674/2016 धारा 363,376 भा0द0वि0 व धारा 5m/6m पाक्सो एक्ट से सम्बन्धित अभियुक्त 01- राजकुमार पुत्र स्व0 सुदामा बनवासी निवासी- रौनाकुला थाना चोलापुर जनपद वाराणसी को प्रभारी निरीक्षक चोलापुर व मॉनिटरिंग सेल वाराणसी की प्रभावी पैरवी के फलस्वरुप आज दिनांक-23.05.2025 को माननीय न्यायालय ASJ-07/पाक्सो-III जनपद वाराणसी द्वारा दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त राजकुमार बनवासी उपरोक्त को अन्तर्गत धारा 363 भा0द0वि0 के अपराध में 07 वर्ष सश्रम कारावास तथा 10,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 01 माह का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा एवं धारा 5m/6 पाक्सो एक्ट के अंतर्गत 10 वर्ष सश्रम कारावास की सजा तथा 50,000/- रु0 के अर्थदण्ड से दण्डित किया किया गया। अर्थदण्ड अदा न करने पर अभियुक्त को 06 माह के अतिरिक्त कारावास की सजा भुगतना होगा।

सोशल मीडिया सेल
पुलिस उपायुक्त, वरुणा जोन
कमिश्नरेट वाराणसी।